संख्या– 635 /X–3–14–23(02)/2012

प्रेषक

डॉ0 रणवीर सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3

देहरादूनः दिनांकः– 28 जुलाई, 2014

विषयः– खतरनाक वृक्षों को परिभाषित करने के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 5(2) के तृतीय परन्तुक में यह प्रावधान दिया गया है कि यदि किसी वृक्ष से किसी व्यक्ति या संपत्ति को खतरा है, तो उसकी पातन देने की अनुज्ञा से इंकार नहीं किया जायेगा। इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर समय–समय पर अपेक्षा की गयी है कि उपरोक्त परन्तुक के अंतर्गत खतरनाक वृक्ष से आशय को स्पष्ट करने के उद्देश्य से परिभाषित किया जाय। इसके अतिरिक्त मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित आवेदन संख्या–273/2013 सिटीजन फॉर ग्रीन दून बनाम राज्यादि के संबंध में मा0 प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.12.2013 को राज्य सरकार को 'खतरनाक' शब्द को परिभाषित करने अथवा इस संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत करने के निर्देश दिये गये हैं।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किसी वृक्ष को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु 'खतरनाक' मानने हेतु निम्न मापदण्ड अपनाया जाय :–

1. ऐसे वृक्ष, जो पूर्ण रूप से सूख गये हों।
2. ऐसे वृक्ष, जिसके शीर्ष/छत्र सूख गये हों।
3. ऐसे वृक्ष, जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो।
4. ऐसे वृक्ष जो, बज्रपात से प्रभावित हो।
5. ऐसे वृक्ष, जिनकी जड़ें सतह के ऊपर दिखने लगी हो।
6. ऐसे वृक्ष, जिनका एक भाग पूर्ण रूप से सूख गया हो।
7. ऐसे वृक्ष, जिसकी जड़े मोटर मार्ग निर्माण के फलस्वरूप कट गयी हो व इसके गिरने की संभावना बनी हो।
8. ऐसे वृक्ष, जो किसी भवन के पास इतनी दूरी पर स्थित हो, जितनी वृक्ष की ऊँचाई हो तथा भवन की ओर झुका हो, जिसके गिरने से भवन को क्षति पहुँच सकती है।
9. ऐसे वृक्ष, जो नीचे से खोखला हो गया है, जिसके गिरने से भवन, फसल, जान–माल की क्षति की संभावना हो।
10. ऐसे वृक्ष, जो विद्युत पारेषण लाइन की ओर झुका हो व उससे इतनी दूरी पर हो, जितनी वृक्ष की ऊँचाई हो।
11. उपरोक्त मापदण्डों के अतिरिक्त कोई अन्य परिस्थिति, जिससे जान/माल की वृक्ष द्वारा क्षति की संभावना उत्पन्न हो गई हो।

3– उपरोक्त मापदण्ड समस्त प्रकार की भूमि पर खड़े वृक्षों पर यथावत् लागू होंगे, भले ही स्वामित्व किसी का भी हो।

भवदीय,

28/7/2014

(डॉ0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

D/Note & Drft/F-3/G.O.Let/2014/July & Aug